

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

30प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 04 सितम्बर, 2018

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत जनपद हमीरपुर में चिकासी से राठ तक बिलरायों-पनवाड़ी मार्ग (राज्य राजमार्ग-21) के चैनेज 430.000 से 442.100 तक 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण एवं जनपद महोबा में बिलरायों-पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग -21) के चैनेज 442.10 से 448.680 तक 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 23.60 किमी0) कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

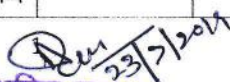
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-473नि0/ 127-01नि0/ 2017-18 दिनांक 05-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हमीरपुर में चिकासी से राठ तक बिलरायों-पनवाड़ी मार्ग (राज्य राजमार्ग-21) के चैनेज 430.000 से 442.100 तक 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण एवं जनपद महोबा में बिलरायों-पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग -21) के चैनेज 442.10 से 448.680 तक 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 23.60 किमी0) कार्य की आंकलित लागत रू0 9998.14 लाख (रूपये निन्यानवे करोड़ अठानवे लाख चौदह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष प्रथम किस्त रू0 1000.00 लाख (रूपया दस करोड़ मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/ प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्रं0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अनुदान सं0-58 का अंश	अनुदान सं0-83 का अंश	वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	हमीरपुर	जनपद हमीरपुर में चिकासी से राठ तक बिलरायों-पनवाड़ी मार्ग	9998.14	787.90	212.10	1000.00

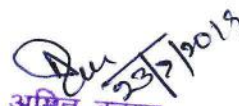



अनुराग कुमार
अवर अभियन्ता (सिविल)
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
हमीरपुर

		(राज्य राजमार्ग-21) के चैनेज 430.000 से 442.100 तक 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण एवं जनपद महोबा में बिलराया-पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग -21) के चैनेज 442.10 से 448.680 तक 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 23.60 किमी0) कार्य।				
--	--	---	--	--	--	--

- (1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर/ पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति कार्य जिस कार्य/ मद के लिये है, उसी कार्य/ मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी।
- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (9) प्रायोजना में वन विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान एवं जल निगम से सम्बन्धित कार्यों का प्रावधान किया गया है। अतः इन कार्यमदों का सम्बन्धित विभागों द्वारा विस्तृत आगणन गठित किया जाय तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।




अमित कुमार
अवर अभियन्ता (सिविल)
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
हमीरपुर

- (10) प्रभाग द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ विभाग का होगा।
- (11) प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (12) प्रायोजना में प्रस्तावित मार्ग का कार्य नई तकनीकी के आधार पर किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रशासकीय विभाग के स्तर से यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजना में प्रस्तावित मार्ग का निर्माण आई0आर0सी0 के मानकों प्राविधानों एवं विशिष्टियों के अनुरूप हो ताकि भविष्य में अन्यथा की स्थिति उत्पन्न न हो।
- (13) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
- (14) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। सेतु की लम्बाई/ चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/ परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
- (15) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/ कार्यदायी संस्था का होगा।
- (16) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
- (17) लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था होगी।
- (18) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-0306-राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण के नये कार्यों



हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24 वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

- 2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2018/ बी0-1-375/ दस-2018-231/ 2018. दिनांक 30-03-2018 के आलोक में जारी किया जा रहा है।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-2568/ दस-18, दिनांक 25 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-174/ 2018/ 60(1)(1)/ 23-11-2018-1/ 2(71)/ 2018-तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम् (निर्माण) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, झांसी मण्डल/ जिलाधिकारी, हमीरपुर।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (झांसी क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, झांसी।
- 5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/ वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 6- राज्य योजना आयोग-1/ 2, उ0प्र0 शासन।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/ परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- लोक निर्माण अनुभाग-1/ 9/ 10/ 12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
- 11- निजी सचिव, मा0 उप मुख्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
उप सचिव।